कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1542 /FP/UK/Road/48173/2020 :देहरादूनः 27 दिसम्बर, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/Road/48173/2020)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या –8बी/यू.सी.पी./06/58/2022/एफ0सी0/783 दिनॉक 02.09.2022

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, यमुना वृत्त के पत्रांक 1027/12–1 दिनांक 21.12.2022 (प्रति सलंग्न) के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

S.N.	Observation	Compliance
1	The purpose of the proposed road is only to provide connectivity to an isolated village where high volumen of traffic is not expected. Further the road passes through a dense forest. The DFO shall mark the forest roads available in the vicinity of the village to be connected and inform the possibility of using a forest road for providing connectivity to the village.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को किसी अन्य वन मोटर मार्ग के साथ जोडा जाना सम्भव नही है। अतः प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है।
2	The State Government shall reassess the proposed width and restrict it to bare mínimum requirement which shall not be more than the width of 3 to 4 m.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में लोक निर्माण विभाग में हल्का वाहन मार्ग (चौ0–4.25 है0) के मानक से सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव था परन्तु उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों के मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु मानक न्यूनतम चौड़ाई 5.95 है0 से कम की प्रस्तावित नही की जा सकती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मी0 किया जाना सम्भव नही है।
3	Nos of tres affected by the proposal are mentioned as 33 in the tree enumeration list uploaded online. However, number ot tres affected are mentioned as 31 trees at para 4 in Part-II. State Government is requested to clarify this discrepancy ans submitted/upload the correct information in this regard.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 33 वृक्ष प्रभावित हो रहे है (आरक्षित वन भूमि–24 तथा सिविल सोयम भूमि–9)। जिनका उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है। वृक्ष की सूची पैरा–4 में ऑनलाईन ठीक कर अपलोड कर दी गई है।

4	NPV is calculated as per old rates. State Government is requested to upload the NPV calculation sheet as per the curren trates.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित एन0पी0वी0 आंकलन भाग–2 के Additional information के कं0सं0–4 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न–1)
5	The name of the documents uploaded in the additional documents are not mentioned. Accordingly, names be mentioned.	Conservator of Forest informed that the names of the documents uploaded in the in additional documents are mentioned. Accordingly, names be mentioned on dated 02.11.2022 by user agency in Part-I.
6	'Work no start' certificated is not found authenticated by DFO. State Government shall upload the 'Work not start' certificate duly authenticated by the concerned DFO.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित 'Work no start' certificate को भाग–2 के एडिशिनल इन्फोर्मेशन के क0सं0–2 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न–2)

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 1542 / FP/UK/Road/48173/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

27/12/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

0/c